

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना


सख्या-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014- (3)/रा0, पटना 15, दिनांक- /06/2014

श्री गुलाब चन्द, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-364/11, गृह जिला--उत्तर प्रदेश) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री गुलाब चन्द को भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16(6), 17, 19(2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1984 तथा संशोधित, 1984 की धारा-4, 5(ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014 230 (3)/रा, पटना-15, दिनांक- 20/06/2014

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, भू-अर्जन, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सम्बन्धित कोषांगार पदाधिकारी/सम्बन्धित पदाधिकारी/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कोषांग/विभागीय प्रशाखा-3/निगरानी कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, सिवान से अनुरोध है कि स्थानान्तरित पदाधिकारी को अविलम्ब विरमित करने की कृपा की जाय।


(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।